4

4.1 सूक्ष्मवित्त पहलों को बढ़ावा

4.2 बेहतर आजीविकाओं के लिए सहयोग

4.3 कृषक उत्पादक संगठन

4.4 कृषि क्षेत्र विकास को बढ़ावा देना

4.5 कृषीतर क्षेत्र को मजबूत बनाना

4.6 ग्रामीण उद्यमियों, स्टार्ट-अप, विपणन और ब्राडिंग की सहायता करना

4.7 अनुसंधान और ज्ञान साझा करने में सहयोग प्रदान करना

4.8 संधारणीय आजीविकाओं के माध्यम से समावेशी विकास

समावेशी विकास की ओर

गत 42 वर्षों से, नाबार्ड ने भारत में समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए आजीविकाओं के संवर्धन, कौशल विकास, संस्थाओं की स्थापना, उद्यमिता के प्रोत्साहन, वित्तीय और डिजिटल समावेशन के विस्तार और अनुसंधान और सूचना साझा करने में सहायता करने हेतु अपने-आप को समर्पित कर रखा है. उसके इन कार्यों ने स्थानीय स्तर पर उत्कृष्ट परिणाम दिए, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्रामीण भारत के लिए एक जीवंत विकास का परितंत्र बनाने, हितधारकों के विकास को सक्षम करने और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास में अच्छा योगदान देने में नाबार्ड की रणनीति प्रभावशाली रही है.

नाबार्ड ने 1980 के दशक में विकास वालंटियर वाहिनी के रूप में अपनी पहली सामुदायिक संस्थाएँ बनाईं. उसके पश्चात्, 1990 के दशक की शुरुआत में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सामुदायिक संस्थाओं में क्रांति लाने और हाशिए पर रहने वाले और गरीब लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, के लिए आजीविका सुरक्षित करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरे. नाबार्ड ने बाद में संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) को संवर्धित किया ताकि काश्तकार किसानों, मौखिक पट्टेदारों, बटाईदारों और छोटे/ सीमांत किसानों के रूप में खेती करने वाले भूमिहीन किसानों और अन्य व्यक्तियों को कृषि, कृषीतर और खेती से भिन्न गतिविधियों के लिए ऋण लेने में सुविधा हो.

हाल के वर्षों से, नाबार्ड कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कृषीतर उत्पादक संगठनों (ओएफपीओ) का संवर्धन कर रहा है ताकि छोटे किसानों या कारीगरों को मात्रा/ संख्या की अधिकता का लाभ मिल सके, मोलभाव करने की उनकी शक्ति बढ़े और बाज़ार अवसरों तक उनकी पहुंच बेहतर हो सके.

4.1 सूक्ष्मवित्त पहलों को बढ़ावा

4.1.1 स्वयं सहायता समूह-बैंक अंतर-संबंध (इंटरफेस) को बेहतर बनाना

नाबार्ड, अपने स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) के साथ ग्रामीण बैंकिंग नवोन्मेषों में सबसे आगे रहा है, जो 17.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा है और मुख्यधारा के बैंकों के माध्यम से उनको किफायती और संधारणीय ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर रहा है (तालिका 4.1).

तालिका 4.1: वित्तीय वर्ष 2024 तक स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन

विवरण	31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार संचयी		वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में प्रतिशत परिवर्तन	
	एसएचजी की संख्या (लाख)	राशि (₹ करोड़)	एसएचजी की संख्या	राशि
वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान संवितरित ऋण	54.8	2,09,285.9	28	44
बकाया ऋण	77.4	2,59,663.7	11	38
बैंकों के पास बचत	144.2	65,089.2	8	11
अनर्जक आस्तियां (%)	2		-27	
वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान प्रति एसएचजी औसत ऋण संवितरण (₹ लाख)	3.8		13	

एसएचजी = स्वयं सहायता समूह

एफ़पीओ और ओएफ़पीओ छोटे किसानों और कारीगरों की सहायता करता है ताकि उन्हें मात्रा/संख्या की अधिकता का लाभ मिल सके, मोलभाव करने की उनकी शक्ति बढ़े और बाजार अवसरों तक उनकी पहुँच सुलभ हो सके.

इस कार्यक्रम ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सुधार किया है और बचत करने, उधार लेने और सामाजिक पूंजी निर्मित करने में उनकी सहायता की है, जिससे वे बेहतर आय अर्जित करने में सक्षम हुई हैं और निजी साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम हुई है.

एसएचजी-बीएलपी के अलावा, नाबार्ड बैंकों और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों (वीएलपी) को प्रायोजित करके बैंकरों और एसएचजी के बीच के अंतरसंबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करता है. इन ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों में, एसएचजी खाते खोलने, उनके क्रेडिट लिंकेज स्थापित करने और ऋण चुकौती को नियमित करने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन में भी सुधार करते हैं. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, नाबार्ड ने 15,794 ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की, जिससे वीएलपी की संचयी संख्या 66,357 हो गई.

नाबार्ड ने ओडिशा ग्राम्य बैंक (10 शाखाएँ) और दक्षिण केनरा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (5 शाखाएँ) के सहयोग से मनी पर्स एप्लीकेशन (एमपी ऐप) की प्रायोगिक शुरुआत करने के लिए अन्नियम सोल्यूशन्स के साथ भागीदारी की है. एमपी ऐप के माध्यम से, सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंटों की सहायता से डिजिटल माध्यम से विभिन्न वित्तीय गतिविधियाँ निष्पादित करें, जैसे - खाता खोलना (समूह और व्यक्तिगत दोनों), बचत और ऋण संग्रह, क्रेडिट लिंकेज, आंतरिक ऋण संवितरण, रियल टाइम बुककीपिंग, ग्रेडिंग आदि. ऐसा करके, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले एसएचजी सदस्यों को दक्षतापूर्वक और वास्तविक समय में वित्तीय सेवाएँ सुनिश्चित करना इस परियोजना का उद्देश्य है.

एमपी एप ग्रामीण एसएचजी सदस्यों को दक्षतापूर्वक और वास्तविक समय में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है.

4.1.2 संयुक्त देयता समूहों को मजबूत बनाना

नाबार्ड बैंकों को प्रोत्साहित करता है कि वे संयुक्त देयता समूहों को संपार्श्विक-मुक्त-ऋण उपलब्ध कराएं ताकि उनके गरीब और सीमांत सदस्य विविध कृषि और कृषीतर गतिविधियों को अपना सकें, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो और उनके जोखिम कम हों. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, बैंकों द्वारा 73.34 लाख संयुक्त देयता समूहों का संवर्धन और वित्तपोषण किया गया, जिससे कुल जेएलजी की संख्या 331.26 लाख (31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार) हो गई. वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने 6 लाख जेएलजी को क्रेडिट लिंकेज प्रदान करने के लिए ₹16.4 करोड़ की राशि भी मंजूर की.

4.1.3 बेहतर कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण

बैंकरों, गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों, स्वयं सहायता समूहों और एसएचजी महासंघों, और प्रशिक्षकों जैसे प्रमुख हितधारकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए गए. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 3.15 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया. संचयी रूप से, 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार वित्तीय समावेशन निधि के तहत 50.2 लाख प्रतिभागियों और महिला स्वयं सहायता समूह (डब्ल्यूएसएचजी) कार्यक्रम के तहत 5.2 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे सूक्ष्मवित्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मजबूत, कुशल और अनुभवी टीमों के निर्माण में सहायता मिलेगी.

4.2 बेहतर आजीविकाओं के लिए सहयोग

4.2.1 कौशल विकास और उद्यमिता विकास कार्यक्रम

ग्रामीण भारत में मजदूरी या स्वरोजगार को सहायता प्रदान करने के लिए मांग और परिणाम आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए, नाबार्ड सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रमों (एमईडीपी), आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रमों (एलईडीपी) और कौशल विकास कार्यक्रमों (एसडीपी) का संचालन करता है (तालिका 4.2).

ग्रामीण कौशल विकास, विशेष रूप से डब्ल्यूएसएचजी के सदस्यों के लिए कौशल विकास की महत्ता को समझते हुए, नाबार्ड ने लचीलापन बढ़ाने और बुनियादी स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 में एमईडीपी और एलईडीपी दिशानिर्देशों को संशोधित किया है. दोनों कार्यक्रमों के तहत कुल परिव्यय को बढ़ाया गया है और कार्यक्रम की अवधि, प्रतिभागियों की संख्या, एक्सपोजर दौरों का प्रावधान, हैंडहोल्डिंग और प्रबंधन लागत सहायता, कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में नई संस्थाओं को शामिल करने आदि से संबंधित परिवर्तन शामिल किए गए हैं.

तालिका 4.2: कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार)

		एमईडीपी	एलईडीपी	एसडीपी
वित्तीय वर्ष 2024	स्वीकृत कार्यक्रम	648	300	360
	प्रतिभागियों की संख्या	32,890	45,915	12,528 ग्रामीण युवा (~60% महिलाएं)
	मंजूर अनुदान (₹ करोड़)	8.3	22.3	18.7
संचयी	स्वीकृत कार्यक्रम	20,822	2,449	36,501
	प्रतिभागियों की संख्या	6,17,890	3,12,915	9,59,683
	मंजूर अनुदान (₹ करोड़)	60.7	128.4	218.0

एलईडीपी=आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम, एमईडीपी=सूक्ष्म-उद्यम विकास कार्यक्रम; एसडीपी=कौशल विकास कार्यक्रम

4.2.2 क्रमिक ग्रामीण आय सृजन कार्यक्रम

बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण सहायता और विपणन गठबंधनों के साथ चयनित ज्ञान सहयोगियों/ संसाधन एजेंसियों के माध्यम से एम-सुविधा प्रतिभागियों को सूक्ष्म उद्यमी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है.

अति गरीब लोगों के क्षमता निर्माण और आस्ति सृजन को सक्षम बनाने के लिए, पांच राज्यों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और मेघालय) के पांच जिलों में तीन समूहों (250, 500 और 1,000 लाभार्थी) में क्रमिक ग्रामीण आय सृजन कार्यक्रम (ग्रिप) का प्रायोगिक रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है. ग्रिप के तहत, नवोन्मेषी 'रिटर्नेबल ग्रांट' लिखत के माध्यम से अति गरीब लोगों के लिए औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाया जाएगा. ग्रिप के तहत, प्रति लाभार्थी आजीविका-विकल्पों के लिए अधिकतम 50% का अनुदान वापस किया जा सकता है. ग्रिप के लिए नाबार्ड का भागीदार बंधन कोननगर है, जो कारपोरेट सामाजिक दायित्व हेतु बंधन बैंक का अंग है. नाबार्ड की अनुदान सहायता से, बंधन कोननगर प्रतिभागियों को मुफ्त आस्तियां (नकदी नहीं) उपलब्ध कराएगा. फिर इसके बाद वह बंधन के टार्गेटिंग द हार्डकोर पुअर कार्यक्रम के तहत अच्छी तरह से आज़माए गए और साक्ष्य-आधारित साधनों के उपयोग से प्रतिभागियों को 30 माह की अवधि के दौरान अपने फील्ड कैडरों द्वारा गहन हैंडहोल्डिंग के माध्यम से समयबद्ध, सावधानीपूर्वक अनुक्रमित आस्ति प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करेगा. एक बार जब लाभार्थी आस्तियों के माध्यम से आय अर्जित करने में सक्षम हो जाएंगे, तो बंधन कोननगर नाबार्ड को प्रति लाभार्थी अधिकतम 50% तक का अनुदान (मूल्य) वापस कर देगा.

4.2.3 एम-सुविधा: महिलाओं के कौशल उन्नयन द्वारा सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना

कृषि और कृषीतर क्षेत्रों में संधारणीय ग्रामीण आजीविका समाधानों को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के कौशल विकास के लिए एम-सुविधा के अंतर्गत आवश्यकता-आधारित और स्थान-विशिष्ट परियोजनाएँ तैयार की जाती हैं. शुरू-से-अंत तक सहयोग के रूप में रणनीतिबद्ध, ये परियोजनाएँ सबसे पहले स्थानीय संदर्भ में उपयुक्त व्यवसायों/ उद्यमी गतिविधियों की पहचान करती हैं और लक्षित आबादी के कौशल अंतर का आकलन करती हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है. इसके बाद प्रतिभागी महिलाओं को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण सहायता और विपणन गठबंधनों के साथ चयनित ज्ञान सहयोगियों/ संसाधन एजेंसियों के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने और उन्हें चलाने के कौशल प्रदान किए जाते हैं. इस योजना को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट माध्यम में कार्यान्वित किए जाने की संभावना है.

नाबार्ड और डीएवाई-एनआरएलएम, सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए

श्री चरनजीत सिंह, अपर सचिव (ग्रामीण आजीविका), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ अजय के. सूद, उप प्रबंध निदेशक, नाबार्ड, श्री शाजी के वी, अध्यक्ष और जी. एस. रावत, उप प्रबंध निदेशक, नाबार्ड की उपस्थिति में.

4.2.4 कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए रणनीतिक गठबंधन

नाबार्ड और डीएवाई-एनआरएलएम ने 27 फरवरी 2024 को एक ऐतिहासिक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत डीएवाई-एनआरएलएम राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) स्तर पर ग्रामीण आजीविका मिशनों के साथ जुड़ेगा ताकि नाबार्ड के साथ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके:

- लखपति दीदी योजना की तर्ज पर परिपक्व महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) के क्षमता निर्माण, कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट विकास योजनाएं,[1]
- भौतिक और ऑनलाइन विपणन सहायता योजनाएं,
- संधारणीय आर्थिक गतिविधियों के लिए एसएचजी क्लस्टरों का एफपीओ और ओएफपीओ में उन्नयन,
- महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए जलवायु-अनुकूल कृषि का संवर्धन,
- नाबार्ड के वाड़ी और वाटरशेड विकास परियोजना क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए आजीविका संबंधी कार्य, और
- वित्तीय समावेशन को बढ़ाना.

इस सहमति ज्ञापन का एक और लक्ष्य है एसएचजी महासंघों के लिए डिजिटल लेनदेनों की प्रायोगिक परियोनाएं विकसित करना ताकि पारदर्शिता लाई जा सके और सदस्यों के लिए टर्नअराउंड टाइम को दक्षता से कम किया जा सके, साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को बैंकों के बिज़नेस कॉरस्पॉन्डेंटों के रूप में नियुक्त करने के लिए विकल्पों का भी पता लगाया जा सके.

4.2.5 क्षमता निर्माण निधि - सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा वित्तपोषित गतिविधियां

क्षमता निर्माण निधि-सोशल स्टॉक एक्सचेंज (सीबीएफ-एसएसई) की स्थापना नाबार्ड के अंतर्गत एक प्रशासनिक निधि के रूप में की गई थी. सीबीएफ-एसएसई में ₹100 करोड़ की निधि शामिल है, जिसमें नाबार्ड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और अन्य द्वारा निधि दी गई है. सीबीएफ-एसएसई में तेज़ी लाने के लिए नाबार्ड, सिडबी और एनएसई, प्रत्येक ने ₹2.5 करोड़ और बीएसई ने ₹2 करोड़ का योगदान दिया है. यह निधि सोशल स्टॉक एक्सचेंजों के संबंध में गैर - लाभकारी संगठनों (एनपीओ), लाभ के लिए स्थापित उद्यमों, निवेशकों आदि जैसे हितधारकों के जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए है.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, नाबार्ड ने गैर-लाभकारी संगठनों के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का सक्रिय रूप से आयोजन किया ताकि उन्हें सीबीएफ-एसएसई प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया जा सके. नाबार्ड, एनएसई, बीएसई और अन्य विशेषज्ञों के समन्वित प्रयासों से आठ एनपीओ को एसएसई में सूचीबद्ध किया गया. नाबार्ड ने दो एनपीओ, यथा एकलव्य फाउंडेशन और एस.जी.बी.एस उन्नति की परियोजनाओं को प्रत्येक को ₹30 लाख में सब्सक्राइब किया है.

एसजीबीएफ़ उन्नति पहला गैर-लाभकारी संगठन था जिसने सीबीएफ़-एसएसई पर अपना इश्यू खोला. इस एजेंसी ने एसएसई के माध्यम से पांच राज्यों में 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए ₹2 करोड़ जुटाने का प्रयास किया. नाबार्ड इसके ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल (ज़ेडसीज़ेडपी) लिखत को ₹30 लाख में सब्सक्राइब करने वाले पहले ग्राहकों में से एक था. यह एनपीओ अपने इश्यू के बंद होने से पहले कुल इश्यू आकार का 90% जुटाने में सफल रहा और एसएसई पर सूचीबद्ध हुआ. नाबार्ड ने एक एसएसई समूह बैठक आयोजित की जिसमें सीबीएफ़-एसएसई के सभी हितधारकों ने भाग लिया. नाबार्ड द्वारा 'सोशल स्टॉक एक्सचेंज: आगे की राह' पर एक बहु-हितधारक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार ने की.

सीबीएफ़-एसएसई, एसएसई के संबंध में हितधारकों के लिए जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान करता है.

4.3 कृषक उत्पादक संगठन

किसानों के सामूहिक संगठन के रूप में, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) छोटे और सीमांत किसानों की कृषि निविष्टियां खरीदने या उपज बेचने में मोलभाव करने की शक्ति को बढ़ाते हैं और संस्थागत ऋण तक उनकी पहुँच को सक्षम बनाते हैं. नाबार्ड ने अपनी उत्पादक संगठन विकास निधि (पीओडीएफ) और उत्पादक संगठन विकास और उत्थान कॉर्पस निधि (प्रोड्यूस) के तहत एफपीओ को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है. नाबार्ड, 10,000 एफपीओ की स्थापना और संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र की योजना की कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है.

एफ़पीओ को सुदृढ़ करने की रणनीतियों में मूल्य शृंखला भागीदारों के बीच सहयोग तथा राष्ट्रीय और वैश्विक पण्य बाजार के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाना शामिल होता है.

वित्तीय वर्ष 2024 में, नाबार्ड ने 221 एफपीओ का संवर्धन किया, जिनमें से 39 पंजीकृत हो चुके हैं. संचयी रूप में, नाबार्ड ने 7,000 से भी अधिक एफपीओ का संवर्धन किया है जिनमें सदस्यों की संख्या 25 लाख किसान हैं, जिनमें से लगभग 82% छोटे और सीमांत किसान हैं और 30% महिलाएँ हैं (तालिका 4.3).

अब तक 1,995 एफपीओ ने बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया है. नाबार्ड द्वारा संवर्धित 4,500 से भी अधिक कृषक उत्पादक संगठनों को नाबार्ड कृषक उत्पादक संगठन पोर्टल पर ऑनबोर्ड और अपडेट किया गया है. केंद्रीय क्षेत्र की योजना से संबंधित एफपीओ का डेटाबेस एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर अपडेट किया गया है.

तालिका 4.3: कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्धन

विवरण		प्रोड्यूस	पीओडीएफ-आईडी	सीएसएस	कुल
स्वीकृत एफपीओ (सं.)	समग्र लक्ष्य	2,000	3,000	1,694	6,694
	संचयी	2,154	3,507	1,694	7,355
	वित्तीय वर्ष 2024 में	0	213	8	221
पंजीकृत एफपीओ (सं.)	संचयी	2,094	2,276	1,686	6,056
	वित्तीय वर्ष 2024 में[क]	0	173	270	443
मंजूर अनुदान (₹ करोड़)	संचयी	221.3	376.9	777.0	1,375.2
	वित्तीय वर्ष 2024 में	6.9	44.8	91.5	143.2
प्रयुक्त अनुदान (₹ करोड़)	संचयी	200	213.5	233.1	647
	वित्तीय वर्ष 2024 में	6.9	41.4	104.0	152.3
शेयरधारकों के रूप में कवर किए गए किसान (लाख)		10.1	10.1	4.5	24.7
एफपीओ द्वारा संग्रहित संचयी शेयर पूंजी (₹ करोड़)		112.7	109.7	48.1	270.9
शेष कॉर्पस, 31 मार्च 2023 (₹ करोड़)		6.9	292.9	-	299.8
वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान प्रयुक्त कॉर्पस (₹ करोड़)		6.9	41.4	104.0	152.3
शेष कॉर्पस, 31 मार्च 2024 (₹ करोड़)		-	260.0[ख]	-	260.0

[क] वित्तीय वर्ष 2024 में पंजीकृत एफपीओ में पहले से स्वीकृत किंतु वित्तीय वर्ष 2024 में पंजीकृत एफपीओ शामिल हैं.

[ख] अप्रयुक्त निधि पर ब्याज शामिल है.

सीएसएस = केंद्रीय क्षेत्र की योजना, एफपीओ = कृषक उत्पादक संगठन, पीओडीएफ-आईडी = उत्पादक संगठन विकास निधि-ब्याज विभेदक, प्रोड्यूस = उत्पादक संगठन विकास और उत्थान समूह निधि.

4.3.1 एफपीओ को मजबूत करने के लिए अपनाई गई रणनीतियां

एफपीओ की सफलता के मुख्य संवाहक हैं उनकी सदस्य केंद्रीयता, स्वामित्व, सुशासन और सामयिक तथा पर्याप्त ऋण सहायता प्राप्त व्यवसाय आयोजना. इस दिशा में, एफपीओ को मजबूत करने के लिए नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई गई हैं:

- बुनियादी स्तर पर एफपीओ की हैंडहोल्डिंग और क्षमता निर्माण की दिशा में निरंतर और गहन प्रयास;
- एफपीओ को ऋण देने के लिए मुख्यधारा के बैंकों के साथ निरंतर संपर्क करते रहना और उनका मार्गदर्शन करना, उपलब्ध ऋण गारंटी का लाभ उठाना और राज्य स्तरीय बैंकर समितियों, ब्लॉक स्तरीय बैंकर समितियों, जिला परामर्शदात्री समितियों आदि के माध्यम से बैंक अधिकारियों का संवेदीकरण करते रहना;
- कृषक उत्पादक संगठनों को संधारणीय बनाने के लिए मूल्य वर्धन, प्रभावशाली बाजार संपर्क, अभिसरण आदि पर ध्यान केंद्रित करना;
- संग्रहण और विपणन में एफपीओ की शक्ति का लाभ उठाने के लिए मूल्य शृंखला के अन्य भागीदारों के साथ सहयोग (शोकेस 4.1);
- प्राइस डिस्कवरी में सक्षम बनाने और राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों के साथ कनेक्टिविटी का स्तर बढ़ाने के लिए एफपीओ को पण्य बाज़ारों से लिंक करना;
- सदस्यता, मूल्य वर्धन के लिए व्यवहार्य फसलों, स्केलेबिलिटी, कार्यों, क्षमता निर्माण प्रणालियों आदि से संबंधित मुद्दों को समझने के लिए सफल एफपीओ का अध्ययन और दस्तावेज़ीकरण;

- पहले से संवर्धित एफपीओ का दृढ़ीकरण तथा पशुपालन, मत्स्य पालन और विशिष्ट उत्पादों में क्रमिक दृष्टिकोण के माध्यम से नए एफपीओ का संवर्धन;
- एफपीओ की ग्रेडिंग में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करना;
- एफ़पीओ को मौजूदा एप्लिकेशनों की सदस्यता लेने या डिजिटल साधन विकसित करने हेतु विचार करने के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से उनका डिजिटाइजेशन; और
- प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) कम्प्यूटरीकरण सॉफ्टवेयर को अपनाकर एफपीओ के लिए उद्यम संसाधन आयोजना सॉल्यूशन का कस्टमाइजेशन.

शोकेस 4.1: हरियाणा में एफपीओ से महिला तिलहन किसानों को फ़ायदा

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ): धरचना कृषक उत्पादक कंपनी लिमिटेड

स्थान: रेवाड़ी, हरियाणा

मुद्दे: यह किसानों का एक समूह है जो सरसों जैसे तिलहन का उत्पादन करते हैं. एफपीओ के गठन से पहले, इन किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए स्थानीय बाज़ार में बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था.

गतिविधियाँ:

- 301 शेयरधारकों से ₹3 लाख की शेयर पूंजी का संग्रहण
- तिलहनों का एकत्रीकरण, खरीद, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन आदि.
- सरसों के बीजों की खरीद और सरसों के तेल और सरसों की खली की डिलीवरी के लिए नाबार्ड से अनुदान सहायता के साथ एक मोबाइल वैन की खरीद.

उपलब्धि >> परिणाम >> प्रभाव

- गैर-सदस्य किसानों सहित, 500 से अधिक किसान, एफपीओ द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं.
- 90% महिला सदस्यों वाले इस एफपीओ ने उन महिलाओं को तिलहन की खेती को एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में अपनाने के लिए सशक्त बनाया है.
- तेल की मिल द्वारा सुनिश्चित खरीद के चलते, एफपीओ की सदस्य महिलाएं आधुनिक खेती की पद्धतियों में निवेश करने की इच्छुक हैं. जिसके परिणामस्वरूप वे अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि रसायन, उर्वरकों और बीज की किस्मों का उपयोग कर रही हैं.
- बिचौलियों के न रहने से एफ़पीओ की सदस्य महिलाएं 2% के मंडी शुल्क और परिवहन लागत की बचत करके प्रति क्विंटल ₹200 की अतिरिक्त कमाई कर रही हैं.

तिलहन का प्रसंस्करण

- एफपीओ ने ₹58.8 लाख का कुल कारोबार किया है और वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान ₹50,000 का लाभ कमाया है.
- एफपीओ द्वारा बनाया गया ब्रांड 'सात्विक' धीरे-धीरे बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है.

4.3.2 एफपीओ के संवर्धन और विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2024 में की गई पहलें

वित्तीय वर्ष 2024 में एफपीओ के संवर्धन और विकास के लिए, नाबार्ड ने

- कृषक उत्पादक संगठनों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के अंतर्गत 93 पात्र ऋणदाता संस्थानों को नैबसंरक्षण के साथ ऑनबोर्ड किया और 1,195 एफपीओ (1,561 गारंटियां) को ₹278.2 करोड़ का ऋण गारंटी कवर मंजूर किया;
- एफपीओ उत्पादों के विपणन और ब्रांडिंग को सक्षम बनाने और ई-कॉमर्स के माध्यम से उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए एफपीओ और ओएफपीओ के उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 24 स्थानों पर लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के साथ साझेदारी में एफपीओ मेले (तरंग: सामूहिकता का उत्सव) आयोजित किए.

बिचौलियों को हटाने से एफ़पीओ के लिए मंडी शुल्क और परिवहन लागत में बचत सुनिश्चित हुई है.

एफ़पीओ उत्प्रेरक पहल में विशेष प्रशिक्षण और मेंटरशिप, परिचालन दक्षता में सुधार, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना और एफपीओ के बीच नेटवर्किंग शामिल हैं, जो एक सहयोगात्मक परितंत्र का निर्माण करते हैं.

- बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड), लखनऊ और बर्ड, कोलकाता (विशेष रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के एफपीओ के लिए) में एफपीओ की संधारणीयता पर कॉन्क्लेव आयोजित किए;
- एफपीओ के लिए मूल्य संरक्षण कार्यक्रम हेतु नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड को एक वर्ष की अवधि के लिए ₹25 करोड़ मंजूर किए ताकि किसानों को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.
  - किसान, सुनिश्चित स्ट्राइक प्राइस प्राप्त करने के लिए स्वयं कमोडिटी बाजार में 'पुट ऑप्शन' का लाभ उठा सकें, और
  - कमोडिटी बाजार में हेजिंग प्रणाली के माध्यम से न्यूनतम मूल्य प्राप्त कर बैंक/ वित्तीय संस्थान से उचित लागत पर ऋण प्राप्त कर सकें;
- निम्नलिखित के लिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ सहमति ज्ञापन के अंतर्गत
  - कृषि निर्यात का संवर्धन;
  - उत्कृष्ट कृषि पद्धतियों, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और निर्यात प्रोटोकॉल में किसानों का क्षमता निर्माण;
  - संबंधित संस्थानों, आदि की योजनाओं का अभिसरण; और
  - चयनित कृषि निर्यात क्लस्टरों में एफपीओ का संवर्धन, जिससे
    - वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान एपीडा के साथ 80 एफपीओ ने पंजीकरण किया, और 307 एफपीओ का संचित पंजीकरण किया;
    - बारह राज्यों में इन 307 एफपीओ में से 25 एफपीओ मसाले, फल, बेबी कॉर्न आदि का निर्यात कर रहे हैं;
- ओएनडीसी के साथ सहयोग से एफपीओ के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि ओएनडीसी, एफपीओ ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया, उत्पाद कैटलॉग तैयार करने आदि के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके तथा उत्पाद कैटलॉग के विकास के लिए अनुदान सहायता प्रदान की गई जिससे लगभग 470 एफपीओ ऑनबोर्ड किए जा सकें और 150 एफपीओ उत्पाद कैटलॉग तैयार कर सकें;
- बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आठ एफपीओ और एक पैक्स के प्रशिक्षण और डिजिटाइजेशन और यूस्टोर पर ऑनबोर्डिंग के लिए आकाशमाला सॉल्यूशन (ब्रांड: उन्नति) को ₹9.9 लाख मंजूर किए गए ताकि कृषि-मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण पर एक मॉडल बनाया जा सके.
- एफपीओ उत्प्रेरक पहलों को सहायता प्रदान की गई जिसके माध्यम से:
  - एफपीओ ने विशेष प्रशिक्षण, मेंटरशिप और संसाधनों का लाभ उठाया;
  - एफपीओ परिचालन दक्षता में वृद्धि कर सके, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपना सके और बाजार की जटिलताओं को समझ सके;
  - एफपीओ के बीच नेटवर्किंग को सुगम बनाया, जिससे
    - एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बना जिसने ज्ञान के आदान-प्रदान और सामूहिक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया तथा
    - उन्हें अग्रणी कृषि-स्टार्ट-अप के साथ जोड़ा.

4.4 कृषि क्षेत्र विकास संवर्धन

नाबार्ड, अपनी कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (एफएसपीएफ) के माध्यम से कृषि नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण में सहायता करता है. इस निधि में ₹60 करोड़ की समूह निधि है और नाबार्ड के लाभ से विनियोजन द्वारा इसकी वार्षिक पुन:पूर्ति की जाती है.

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार एफएसपीएफ के तहत संचयी रूप से ₹246.7 करोड़ के संवितरण किए गए. एफएसपीएफ के अंतर्गत सहयोग प्राप्त गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं.

4.4.1 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मोड के तहत कार्यान्वित परियोजनाएं

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मोड के अंतर्गत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवोन्मेषों, उत्पादकता वृद्धि और बाजार पहुंच, मूल्य श्रृंखला विकास, कमज़ोर जिलों में जलवायु-अनुकूल कृषि, किसानों के समूह और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर हाई-टेक कृषि केंद्रित परियोजनाएं,

शोकेस 4.2: इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग के माध्यम से जलवायु-अनुकूल और संधारणीय कृषि का संवर्धन

परियोजना: मिर्च की खेती के लिए संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग

स्थान: महबूबाबाद जिला, तेलंगाणा

कार्यान्वयन एजेंसी: एस एंड टी सिरी स्वैच्छिक संगठन

अनुदान सहायता: ₹13.5 लाख

उद्देश्य

- मिर्च की खेती में रसायन-आधारित कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग को कम करना और संसाधनों का इष्टतम उपयोग.
- लाइट ट्रैप, यलो स्टिकी ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप, ट्रैप क्रॉप आदि जैसे विभिन्न संधारणीय एकीकृत कीट प्रबंधन उपायों का उपयोग करना.
- एकीकृत पोषक-तत्व प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से मिट्टी का स्वास्थ्य वर्धन.
- जैव-कीटनाशकों और जैव-नियंत्रक एजेंटों के उपयोग को बढ़ावा देना.

सहयोग

- मौसम, तापमान, दबाव, आर्द्रता, वायु गति, वायु दिशा, वर्षा, मिट्टी में नमी/ मिट्टी का तापमान, पत्ती में नमी और सौर तीव्रता के संबंध में फार्म-स्तर पर रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराने के लिए 8 से 10 प्रकार के सेंसर युक्त फसल आईओटी उपकरण स्थापित किए गए थे.
- फसल सॉफ्टवेयर द्वारा प्रसंस्कृत उपग्रहीय छवियों ने किसानों के मोबाइलों पर खेतों के लिए सूक्ष्म जलवायु पूर्वानुमान और छिड़काव के लिए सटीक समय संबंधी परामर्श उपलब्ध कराए गए.

मिर्च की खेती में डिजिटल उपकरणों का उपयोग

उपलब्धि >> परिणाम >> प्रभाव

- औसतन प्रति फार्म 8-10 कीटनाशक स्प्रे कम हो गए, जिससे प्रति वर्ष प्रति एकड़ ₹12,000 से ₹15,000 तक की लागत की बचत हुई.
- परामर्श-आधारित सटीक सिंचाई के परिणामस्वरूप पानी की बचत हुई.
- फर्टिगेशन से उर्वरक उपयोग की दक्षता में भी वृद्धि हुई और जिसके परिणामस्वरूप स्वस्थ फसल की वृद्धि हुई और उत्पादकता भी बढ़ी.
- डेमो प्लॉटों में उपज में 15% से 20% की वृद्धि देखी गई.
- बेहतर रंग और चमक के साथ उच्च गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त हुई.
- कम निवष्टि लागत और उच्च मूल्य प्राप्ति के कारण किसानों की निवल आय में वृद्धि हुई.

सूचना संचार प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पर परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया जाता है (शोकेस 4.2). इन परियोजनाओं को आम तौर पर 2-3 वर्ष की अवधि के लिए मंजूरी दी जाती है. इस निधि की स्थापना से, डीपीआर मोड के तहत 1,969 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और निधि के तहत ₹126.2 करोड़ की अनुदान सहायता संवितरित की गई है. इनमें से वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान 159 परियोजनाओं को ₹32.8 करोड़ के अनुदान सहायता के साथ मंजूरी दी गई है.

फसल सॉफ्टवेयर ने किसानों के मोबाइल पर खेतों के लिए सूक्ष्म जलवायु पूर्वानुमान और छिड़काव के लिए सटीक समय संबंधी परामर्श उपलब्ध कराए.

4.4.2 सीएटी - प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए क्षमता निर्माण

सीएटी कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी/ उत्कृष्ट पद्धतियों को अपनाने के लिए परिचयात्मक दौरों और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों के क्षमता निर्माण के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है.

एफएसपीएफ की स्थापना से, 82,060 किसानों के लाभ के लिए ₹22.3 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ 2,774 परिचयात्मक दौरों को सहायता प्रदान की गई है. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, 4,735 किसानों के लाभ के लिए ₹2.8 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ 182 परिचयात्मक दौरे आयोजित किए गए.

4.5 कृषीतर क्षेत्र को मजबूत बनाना

नाबार्ड ने हथकरघा, हस्तशिल्प और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों में कृषीतर गतिविधियों को निरंतर सहायता प्रदान की है, जो मूल्य वर्धन, डिजाइन नवोन्मेषन और विकास, ब्रांड-निर्माण, भंडारागारण, मशीनीकरण आदि के माध्यम से स्थानीय रोजगार पैदा करते हैं और मजबूत बाजार संबंध बनाते हैं (शोकेस 4.3).

शोकेस 4.3: चेरियाल कला का पुनरुत्थान

परियोजना: चेरियाल कला का पुनरुत्थान

स्थान: चेरियाल और आस-पास के गांव, तेलंगाणा

कार्यान्वयन एजेंसी: नैबफाउंडेशन

उद्देश्य

- चेरियल पेंटिंग की लुप्त होती कला का पुनरुत्थान और उसे संरक्षित करना.
- कौशल प्रशिक्षण, डिजाइन विकास और विपणन सहायता के माध्यम से कारीगरों, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाना.

सहयोग

- इस कला रूप में लगभग 35 महिला कारीगरों और 10 मास्टर कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया है.
- उन्होंने चेरियल शिल्प को विभिन्न सतहों और तकनीकों के साथ एकीकृत करना और समकालीन उत्पाद तैयार करना सीखा.
- उन्होंने मैग्नेट, पेन स्टैंड, की-चेन आदि जैसे उत्पाद तैयार करके विविधता का प्रदर्शन किया.

उपलब्धि >> परिणाम >> प्रभाव

- चेरियाल का प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र, सीखने-सिखाने तथा नई और नवोन्मेषी कलाकृतियों के उत्पादन का एक सक्रिय केंद्र बन गया है.
- नई डिज़ाइन की गई इस कला ने, बाज़ार संवाहकों को आकर्षित किया, जो कारीगरों के बेहतर हुए आय स्तर से परिलक्षित होता है.
- प्रतिभागियों ने अपने कौशल में उल्लेखनीय सुधार किया और अब वे प्रति माह ₹8,000 तक की कमाई कर रहे हैं.
- इस परियोजना ने कारीगरों को गो नेटिव और इंडिरूट्ज़ जैसे खुदरा विक्रेताओं और क्राफ्टीज़न जैसे थोक खरीदारों से जोड़ा.
- इस परियोजना ने स्थानीय युवाओं को इस चेरियाल कला में प्रशिक्षित होने, और आजीविका कमाने के लिए प्रोत्साहित किया.

इस परियोजना ने चेरियाल और आसपास के गांवों में संधारणीय आजीविकाओं और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मार्ग भी प्रशस्त किया है.

31 मार्च 2024 तक, नाबार्ड ने 27 राज्यों में 81 ओएफपीओ के संवर्धन और विकास के लिए ₹42.7 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की है, जिसमें 25,922 लाभार्थी शामिल हैं, जिनमें से 18 महिला संगठन हैं, जिनमें कुल 6,890 सदस्य हैं.

दिनांक 31 मार्च 2024 तक, नाबार्ड ने 27 राज्यों में 81 ओएफपीओ के संवर्धन और विकास के लिए ₹42.7 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की है, जिसमें 25,922 लाभार्थी शामिल हैं, जिनमें से 18 महिला संगठन हैं, जिनमें कुल 6,890 सदस्य हैं. वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, ₹4.4 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ पाँच राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में प्रत्येक में दो और केरल में एक) में कुल नौ ओएफपीओ मंजूर किए गए हैं, जिससे 2,520 कारीगरों और बुनकरों को लाभ मिलने की संभावना है (शोकेस 4.4).

नाबार्ड कृषि विश्व विद्यालयों में आरबीआईसी स्थापित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि कृषि स्टार्ट-अप्स और कृषि उद्यमियों को व्यवसाय सहायता सेवाएँ और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें.

शोकेस 4.4: विरासत के धागे

ओएफपीओ का नाम: सखी सफल्या क्राफ्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

स्थान: धारवाड़ जिला, कर्नाटक

सहयोग: कसुति, धारवाड़ की सुई से की जाने वाली एक कढ़ाई कला है जो धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही थी, जिसका पुनरुद्धार कसुति के कारीगरों ने नाबार्ड की सहायता और धारवाड़ के डेवलमेंट फाउंडेशन की पहल से सखी सफल्या ओएफपीओ का गठन करके किया.

उपलब्धि >> परिणाम >> प्रभाव

- वर्तमान में, धारवाड़ के ग्रामीण इलाकों से 467 महिला कारीगर इस कंपनी का हिस्सा हैं.
- पारंपरिक साड़ियों, दुपट्टों और ओढ़नियों के साथ-साथ, ये कारीगर होम एक्सेसरीज़ और साज-सज्जा का सामान, अलंकरण, स्टेशनरी आदि जैसे लाइफस्टाइल उत्पाद भी तैयार करते हैं.
- सखी सफल्या के उत्पादों की गुणवत्ता को अच्छी तरह से स्वीकारा जाता है और विद्या बालन जैसी मशहूर हस्ती द्वारा इसका समर्थन किया जाता है.
- कंपनी के ग्राहक न केवल भारत में हैं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम में भी इसके ग्राहक हैं.

4.6 ग्रामीण उद्यमियों, स्टार्ट-अपों, विपणन और ब्रांडिंग को सहायता

4.6.1 ग्रामीण/ कृषि-व्यावसाय उद्भवन केन्द्र

नाबार्ड कृषि विश्वविद्यालयों/ इसी प्रकार के संस्थानों में ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्र (आरबीआईसी) स्थापित करने के लिए शुरू-से-अंत तक तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि कृषि-स्टार्ट-अप और कृषि-उद्यमियों को व्यवसाय सहायता सेवाएँ और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें (चित्र 4.1).

चित्र 4.1: 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार आरबीआईसी का संवर्धन

एफपीओ = कृषक उत्पादक संगठन, आरबीआईसी = ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्र.

नोट: ये स्टार्ट-अप भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ पंजीकृत हैं.

ग्रामीण हाट और मार्ट को सहायता प्रदान करना और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रदर्शनियों एवं मेलों में कारीगरों और शिल्पकारों की भागीदारी बढ़ाना.

4.6.2 कृषि/ ग्रामीण स्टार्ट-अपों को सहायता प्रदान करने के लिए उत्प्रेरक पूंजी निधि

नाबार्ड ने ग्रामीण और कृषि स्टार्ट-अपों को उद्भवन केंद्रों और नाबार्ड की सहायक संस्थाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए उत्प्रेरक पूंजी निधि (सीसीएफ) की स्थापना की. इसमें से, ₹18 करोड़ की राशि नैबकिसान फाइनेंस लिमिटेड और तीन उद्भवन केंद्रों (एमएबीआईएफ, ए-आईडिया और एजीहब) के लिए मंजूर की गई है. इनमें से, आज तक

- नैबकिसान ने ₹4.8 करोड़ के वित्तपोषण के साथ छह स्टार्ट-अपों को सहायता प्रदान की है;
- मदुरै एग्रि बिजनेस इनक्यूबेशन फोरम (एमएबीआईएफ) ने ₹2.7 करोड़ के संचयी वित्तपोषण के साथ 15 स्टार्ट-अपों को सहायता प्रदान की है;
- ए-आईडिया ने ₹94.5 लाख के वित्तपोषण के साथ पांच स्टार्ट-अपों को सहायता प्रदान की है; और
- एजीहब ने ₹1 करोड़ के वित्तपोषण के साथ तीन स्टार्ट-अपों को सहायता प्रदान की है.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, 20 स्टार्ट-अपों को सहायता प्रदान करने के लिए एमएबीआईएफ, ए-आईडिया और एजीहब को सीसीएफ के अंतर्गत ₹3 करोड़ संवितरित किए गए.

4.6.3 विपणन पहलें

उत्पादकों को बेहतर विपणन में मदद करने और मूल्य प्राप्ति में सुधार लाने के लिए, नाबार्ड ग्रामीण हाट और मार्ट स्थापित करने तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रदर्शनियों तथा मेलों में कारीगरों और शिल्पकारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है (चित्र 4.2, शोकेस 4.5).

चित्र 4.2: विपणन पहलों की प्रगति

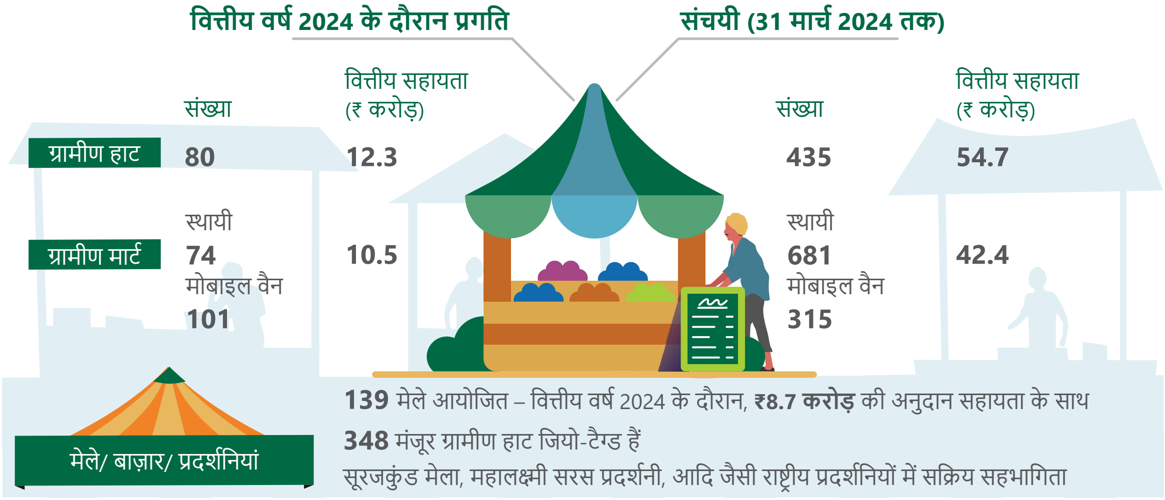

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाणा और आंध्र प्रदेश में आठ 'मॉल में स्टॉल' को ₹84.6 लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गई.[2]

4.6.4 भौगोलिक संकेतक वाले उत्पादों का संवर्धन

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड ने 300 उत्पादों के भौगोलिक संकेतक (जीआई) पंजीकरण और जीआई पंजीकरण के बाद की गतिविधियों को सहायता प्रदान की है, जिनमें से 138 उत्पादों को जीआई-पंजीकृत करवा दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2024 में जीआई-टैग किए गए उत्पादों में संबल हॉर्न क्राफ्ट (उत्तर प्रदेश), तांगसा टेक्स्टाइल उत्पाद (अरुणाचल प्रदेश), बसोहली पश्मीना ऊनी उत्पाद (जम्मू और कश्मीर), माजुली मास्क (असम), बीकानेर कशीदाकारी क्राफ्ट (राजस्थान) और रीसा टेक्स्टाइल्स (त्रिपुरा) शामिल हैं.

शोकेस 4.5: श्री अन्न मार्ट, अलवर, राजस्थान

परियोजना: श्री अन्न मार्ट, अलवर, राजस्थान में श्रीअन्न और श्रीअन्न आधारित उत्पादों के लिए एक ग्रामीण मार्ट

कार्यान्वयन एजेंसी: युवाजागृति मिल्क एंड एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

कार्यान्वयन अवधि: 2023–2026

उद्देश्य: स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) के श्री अन्न आधारित उत्पादों का संधारणीय विपणन और बिक्री.

सहयोग: नाबार्ड ने 31 जुलाई 2023 को श्री अन्न मार्ट को मंजूरी दी, जिसका उद्घाटन 1 सितंबर 2023 को हुआ.

उपलब्धि >> परिणाम >> प्रभाव

- मार्ट ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित श्री अन्न आधारित उत्पादों को स्थानीय उपभोक्ताओं, अन्य खुदरा विक्रेताओं और यहां तक कि ऑनलाइन विपणन के लिए भी एक मंच प्रदान किया है.
- श्री अन्न मार्ट ने अपनी स्थापना के बाद से ₹39.1 लाख की बिक्री की सूचना दी है.

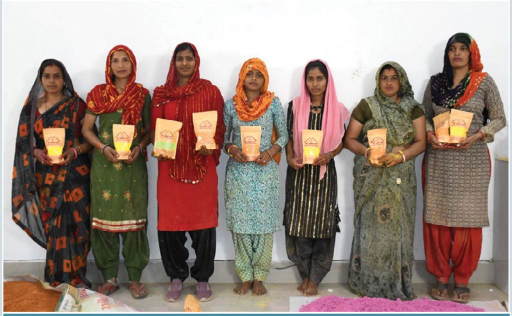

डब्ल्यू एसएचजी सदस्यों द्वारा उनके उत्पादों का गर्वपूर्ण प्रदर्शन

श्रीअन्न मार्ट में विक्रय हेतु तैयार की गई श्रीअन्न कुकीज़

4.6.5 विपणन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान की गई नई पहलें

- प्रायोगिक प्रयासों से मिले प्रतिसाद और सीख के आधार पर, वर्ष के दौरान 'एसएचजी/ जेएलजी/ उत्पादक संगठनों (पीओ)/ सूक्ष्म उद्यमियों को ऑनलाइन/ डिजिटल मार्केटप्लेसों, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मो और ओएनडीसी पर उत्पादों की ऑनबोर्डिंग और विपणन के प्रशिक्षण के लिए अनुदान सहायता योजना' शुरू की गई. इस योजना के तहत एंकर एजेंसियों और तकनीकी प्रशिक्षण भागीदारों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे (i) एसएचजी/ जेएलजी/ पीओ को ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्मो का प्रशिक्षण प्रदान करें, और (ii) उन्हें ऑनलाइन/ डिजिटल मार्केटप्लेसों जैसे ई-कॉमर्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मो और ओएनडीसी पर उत्पादों के विपणन हेतु 6 माह की अवधि के लिए ऑनबोर्डिंग सहायता प्रदान करें. वर्ष के दौरान, 1,435 एसएचजी/ जेएलजी/ पीओ को कवर करते हुए 78 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 387 एसएचजी/ जेएलजी/ पीओ को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करवाया गया. ग्रामीण समूहों और सूक्ष्म उद्यमियों के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए नाबार्ड का माईस्टोर पेज 22 नवंबर 2023 से लाइव है और आज की तारीख तक इस पेज पर 689 उत्पाद उपलब्ध हैं.[3]

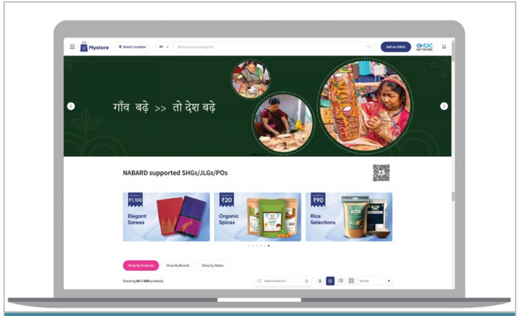

माइस्टोर पर नाबार्ड का पृष्ठ

वर्तमान में माइस्टोर पर नाबार्ड-सहायता प्राप्त ग्रामीण उद्यमों के 689 उत्पाद उपलब्ध हैं.

- ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में बाजारों तक पहुंच को अधिकतम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान 'एसएचजी/ जेएलजी/ पीओ को उत्पादों के भौतिक विपणन के लिए अनुदान सहायता के लिए एक नई योजना' शुरू की गई. इस योजना के तहत (i) स्वयं सहायता समूहों/ उत्पादक संगठनों द्वारा ग्राम दुकान स्थापित करने, (ii) व्यक्तिगत क्षमता में ठेलागाड़ियों, (iii) टियर I/ टियर II/ टियर III शहरों और अर्ध-शहरी केंद्रों/ कस्बों/ तालुकाओं/ ब्लॉकों और जिला मुख्यालयों, प्रमुख शहरों और राज्य की राजधानियों में बस स्टैंडों/ रेलवे स्टेशनों/ शॉपिंग क्षेत्रों के पास और राज्य के सचिवालय/ कलेक्ट्रेट/ जिला कलेक्टर कार्यालय और अन्य उपयुक्त सरकारी कार्यालयों के पास स्टॉल लगाने/ ठेलागाड़ियों के लिए सहायता उपलब्ध है, और (iv) सरकार की अवसर (एवीएसएआर - क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थल के रूप में हवाई अड्डा) योजना के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित हवाई अड्डों पर आउटलेटों के लिए सहायता उपलब्ध है. वर्ष के दौरान स्वयं सहायता समूहों/ संयुक्त देयता समूहों/ पीओ के 7,812 सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए 31 ग्राम दुकानें, 5 ठेलागाड़ियां और 9 स्टॉल स्वीकृत किए गए.

अवसर (एवीएसएआर) के अंतर्गत एसएचजी स्टॉल, प्रस्थान लाउंज, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर (एक वर्ष के लिए प्रति एसएचजी 15 दिनों के लिए किराए पर लिया गया)

4.7 अनुसंधान और ज्ञान साझा करने में सहायता

नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास में ज्ञान के आधार का विस्तार करने और नीति निर्माताओं, हितधारकों और जनता के साथ ज्ञान साझा करने के लिए अनुप्रयुक्त सामाजिक-आर्थिक अध्ययनों, सम्मेलनों, प्रकाशनों, छात्र सहभागिता योजनाओं और प्रशिक्षणों के लिए एक समर्पित अनुसंधान और विकास निधि का उपयोग करता है.

नाबार्ड की अनुसंधान और विकास निधि अनुप्रयुक्त सामाजिक-आर्थिक अध्ययनों, सम्मेलनों, प्रकाशनों, छात्र सहभागिता योजनाओं और प्रशिक्षण के लिए समर्पित है.

4.7.1 नाफिस 2.0

नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (नाफिस) 2.0, जिसमें एक लाख परिवारों को शामिल किया गया था, को ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवारों के आजीविका और वित्तीय समावेशन संबंधी पहलुओं पर प्राथमिक डेटा एकत्र करने के लिए आयोजित किया गया था. 28 राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर व लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों में घरेलू सर्वेक्षण का कार्य समग्र रूप से पूरा कर लिया गया है.

4.7.2 शोध अध्ययनों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों को सहायता

नाबार्ड के तत्वावधान में वर्तमान में चल रहे 26 संस्थानिक (इन-हाउस) और सहयोगी शोध अध्ययनों में से 8 को वित्तीय वर्ष 2024 में मंजूरी दी गई थी. साथ ही, वर्ष में, श्रीअन्न की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के तहत संधारणीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, संधारणीय खाद्य प्रणालियों और किसानों की आय के लिए कृषि में नवोन्मेष और बाजार संबंधों को बढ़ाने जैसे विषयों पर 117 संगोष्ठियों और सम्मेलनों को मंजूरी प्रदान की गई.

पीपल, प्लैनिट और प्रॉफिट के ट्रिपल बॉटमलाइन दृष्टिकोण में नाबार्ड के सहयोगों, पहलों और नवोन्मषों के आधार स्तरीय प्रभाव को वार्षिक रूप से प्रलेखित किया जा रहा है.

4.7.3 छात्र सहभागिता योजनाएँ

नाबार्ड ने, छात्र इंटर्नशिप योजना और उत्कृष्ट पीएचडी थीसिस के लिए नाबार्ड प्रशस्ति-पत्र के माध्यम से छात्र समुदाय के साथ सहयोग जारी रखा.

4.7.4 प्रकाशन

- वित्तीय वर्ष 2024 में, नाबार्ड ने पहली बार नीति सारपत्र प्रकाशित किए, जिनमें उसके शोध कार्य से उभरे प्रमुख निष्कर्षों और अनुशंसाओं पर प्रकाश डाला गया. अब तक, नैब नीति विविध विषयों सारपत्र के छह अंक प्रकाशित हो चुके हैं.
- इकोथिंक (मासिक) और इकोवॉच (पाक्षिक) जैसी आवधिक शोध पत्रिकाएं नाबार्ड की आस्ति देयता समिति, निवेश समिति और अन्य उपयोगकर्ता विभागों द्वारा आयोजित बैठकों के लिए इनपुट प्रदान करना जारी रखी हुई हैं.
- इस वर्ष, इको फोकस नामक एक नई श्रृंखला में दूध, टमाटर, प्याज, आलू आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और अस्थिरता जैसे महत्व के समकालीन मुद्दों पर विषय-विशिष्ट टिप्पणियां प्रस्तुत की गई.
- दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड की अनुसंधान और नीति श्रृंखला के अंतर्गत प्रासंगिक मुद्दों पर प्रतिष्ठित विद्वानों और डोमेन विशेषज्ञों द्वारा 13 आधिकारिक पत्र प्रकाशित किए गए हैं, जो भविष्य के अनुसंधान के लिए नीतिगत निर्देश और सुझाव देते हैं.
- नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अपनी पहली *प्रभाव रिपोर्ट* में पीपुल, प्लैनेट और प्रॉफिट के ट्रिपल बॉटमलाइन दृष्टिकोण के अधीन अपने सहयोगों, पहलों और नवोन्मेषों के आधार स्तर के प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया है. यह रिपोर्ट, रिपोर्टिंग के वैश्विक रिपोर्टिंग पहल मानकों को पूरा करती है, जो प्रभाव आकलन को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ती है.

नाबार्ड प्रभाव रिपोर्ट 2022-23 का अनावरण

4.8 संधारणीय आजीविकाओं के माध्यम से समावेशी विकास

ग्रामीण भारत में संधारणीय और समावेशी विकास संवर्धित करने के लिए संस्था निर्माण, कौशल विकास, उद्यमिता विकास, कृषि और कृषीतर अनुसंधान और ज्ञान का प्रसार अति महत्वपूर्ण है.

एसएचजी, जेएलजी, एफपीओ और ओएफपीओ जैसे सामुदायिक संस्थान समावेशी ग्रामीण समृद्धि में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, बाजार संपर्क स्थापित करने, क्षमता निर्माण, संधारणीय कृषि को संवर्धित करने, ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं का विकास करने और महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. ग्रामीण भारत में संधारणीय आजीविकाएं निर्मित करने के लिए इन संस्थाओं का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि वे उद्यमिता को सहायता प्रदान करने, पारंपरिक उद्योगों को मजबूत करने और कृषीतर गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. नाबार्ड, आने वाले वर्षों में एफपीओ, ओएफपीओ के साथ-साथ ग्रामीण और कृषि खाद्य स्टार्टअपों को विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स विकास के माध्यम से वृद्धिशील होने और अपनी बाज़ार पहुंच को बढ़ाने में सहायता करेगा.

नोट्स

1. https://lakhpatididi.gov.in/.
2. https://www.nabskillnabard.org/off-farm-sector.php/1000#:~:text=Stall%2DIn%2DMall&text=The%20stalls%20are%20to%20be,by%20NABARD%20under%20various%20interventions.
3. https://www.mystore.in/en/collection/nabard?section=product.